

## प्रेस नोट दिनांक 07.11.2020

1. दिनांक 06.11.20 को वादी श्री राम शंकर पुत्र रामअवध यादव नि० भोकलापुर बाबा का पुरवा रानीबाजार थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 टी 1435 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे वादी की मां का गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा मो०सा० क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 530/20 धारा 279, 337, 338, 427, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 06.11.20 को वादी लेखपाल आशाराम यादव क्षेत्र बंदीदासपुर तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धिराउ पुत्र अनन्तराम नि० टकसरा मिल्कीपुर अयोध्या अभि०द्वारा धान की पराली जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित करना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 613/20 धारा 188, 278, 290, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 06.11.20 को वादी लेखपाल आशाराम यादव क्षेत्र बंदीदासपुर तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष कुमार पुत्र श्रीरामचन्द्र नि० उसरू अमौना थाना पूराकलन्दर अयोध्या। अभि०द्वारा धान की पराली जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित करना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 614/20 धारा 188, 278, 290, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 06.11.20 को वादी लेखपाल आशाराम यादव क्षेत्र बंदीदासपुर तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि दूर्गा प्रसाद पाण्डेय पुत्र रामप्रसाद पाण्डेय नि० उसरू अमौना थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभि०द्वारा धान की पराली जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित करना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 615/20 धारा 188, 278, 290, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 06.11.20 को वादी हल्का लेखपाल श्री सुरेश कुमार क्षेत्र भदरसा तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी मो० शब्बीर नि० भदरसा टाउन थाना पूराकलन्दर अयोध्या अभि०द्वारा धान की पराली जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित करना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 616/20 धारा 188, 278, 290, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 06.11.20 को वादी श्री उत्तम सिंह पुत्र रामअधार नि० सिहीपुर गंगानगर थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संजीत सिंह पुत्र रामनरायण सिंह पता अज्ञात आदि 02 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देना जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 350/20 धारा 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 06.11.20 को वादी श्री रामदर्शन पुत्र मंशाराम नि० अस्थना थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि होण्डा मो०सा का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के गाडी टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 667/20 धारा 279, 337 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 06.11.20 को वादी श्री हरिशचन्द्र सिंह लेखपाल तहसील रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र अम्बिका सिंह नि० भरतपुर मजरे सैमसी थाना मवई अयोध्या अभि०द्वारा गाटा सं० 2494 जो तालाब के खाते में दर्ज है को कब्जा करना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 462/20 धारा 3 सार्वजनिक स०क्ष०निवा०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।